प्रेस नोट दिनांक 01.04.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास से संबंधित 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित 04 अभियुक्तों को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत घाटमपुर मोड़ मान्धाता रोड के पास से गिरफ्तार किया गया

प्रतापगढ़।

दिनांक 21.11.2025 को ग्राम पुरे रामचंद्र थाना को ेतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ में दो पक्षों के मध्य झगड़ा की सूचना स्थानीय पुलिस को प्राप्त हुई। जिसमें द्वितीय पक्ष की एक महिला को प्रथम पक्ष के कुछ व्यक्तियों द्वारा लाठी व डंडा से मारा पीटा गया। जिस कारण उक्त महिला को गम्भीर चोटें आई और बेहोश हो गई। जिसके संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 330/2025 धारा 191(2),191(3),190,109 (1), 115 (2)/351(2)/352 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ नगर/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्पराज के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 अवधेश सिंह मय हमराह उ0नि0 अजय कुमार,उ0नि0 रमाशंकर त्रिपाठी हे0का0 राजेश सिंह, हे का0 रामबचन, का0 राहुल सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 330/2025 धारा 191(2),191(3),190,109 (1), 115 (2)/351(2)/352 बीएनएस से संबंधित 04 वांछित अभियुक्तों, 01. मनीष सरोज पुत्र श्रीराम सरोज उम्र 22 वर्ष निवासी पूरे रमाचन्द्र थाना कोतवाली देहात जनपद, 02. रवि उर्फ दिपाशुं पुत्र लालचन्द्र उम्र 24 वर्ष निवासी पूरे रामचन्द्र थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़, 03.राज सरोज पुत्र दिनेश कुमार सरोज उम्र 18 वर्ष निवासी पूरे रामचन्द्र थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़, 04. हिमांशु उर्फ मान्सू पुत्र लालचन्द्र उम्र 18 वर्ष निवासी पूरे रामचन्द्र थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत घाटमपुर मोड़ मान्धाता रोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम-

01. मनीष सरोज पुत्र श्रीराम सरोज उम्र 22 वर्ष निवासी पूरे रमाचन्द्र थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

02. रवि उर्फ दिपाशुं पुत्र लालचन्द्र उम्र 24 वर्ष निवासी पूरे रामचन्द्र थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।
03. राज सरोज पुत्र दिनेश कुमार सरोज उम्र 18 वर्ष निवासी पूरे रामचन्द्र थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।
04. हिमांशु उर्फ मान्सू पुत्र लालचन्द्र उम्र 18 वर्ष निवासी पूरे रामचन्द्र थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अवधेश सिंह मय हमराह उ0नि0 अजय कुमार,उ0नि0 रमाशंकर त्रिपाठी हे0का0 राजेश सिंह, हे का0 रामबचन, का0 राहुल सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
थाना पट्टी पुलिस द्वारा धोखाधडी/ जबरन वसूली के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को 04 जिन्दा देशी बम नाजायज व 01 मोटर साइकिल के साथ किया गया गिरफ्तार-
अभियुक्त को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत देनवा दुबौली जंगल के पास बहद ग्राम देनवा दुबौली के पास से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।
वादी संजय शुक्ला पुत्र जगनारायण शुक्ला निवासी ग्राम कोडरी चंदुआडीह थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि दिनांक 30.03.2026 को कुलदीप पुत्र स्व0 रामस्नेही निवासी बाभनपुर जनपद जौनपुर एवं अजीत पुत्र राजकिशोर निवासी रामपुर खागल थाना पट्टी द्वारा धोखाधड़ी कर 50,000 रुपये ले लिए गए तथा नोटों का बंडल देकर देखने नहीं दिया गया और अतिरिक्त 1,00,000 रुपये की मांग करते हुए वादी के पुत्र को गोली मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में थाना पट्टी पर मु0अ0सं0- 111/2026 धारा 318(4)/308 (5)/182 बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अनीश कुमार यादव मय हमराह कां0 पंकज यादव,कां0 राघवेन्द्र यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 111/2026 धारा 318(4)/308 (5)/182 बी0एन0एस0 से संबंधित 01 अभियुक्त अजीत पुत्र राज किशोर निवासी ग्राम रामपुर खागल थाना पट्टी प्रतापगढ उम्र करीब 24वर्ष को 04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज व 01 मोटर साइकिल के साथ थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत देनवा दुबौली जंगल के पास बहद ग्राम देनवा दुबौली के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के पास से 04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज की बरामदगी के संबंध में थाना पट्टी में मु0अ0सं0- 114/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त से बरामद 01 अदद मोटर साइकिल को धारा 207 एमवीएक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. अभियुक्त अजीत पुत्र राज किशोर निवासी ग्राम रामपुर खागल थाना पट्टी प्रतापगढ उम्र करीब 24वर्ष।

बरामदगी-
04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज व 01 मोटरसाइकिल बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अनीश कुमार यादव मय हमराह कां0 पंकज यादव,कां0 राघवेन्द्र यादव थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को कुल 30 लीटर नाजायज देशी कच्ची शराब के साथ किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर के उ0नि0 सौरभ यादव मय हमराह का0 राजकुमार सिंह, का0 हरेन्द्र सिंह कां0 कुन्दन शर्मा व का0 सुरजीत द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था, जुर्म जरायम की रोकथाम एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत बल्दियान का पुरवा, हण्डौर के पास से 01 अभियुक्त रामकुमार सरोज उर्फ कुंवारे पुत्र मोती निवासी बल्दियान का पुरवा हंडौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 36 वर्ष लगभग को कुल 30 लीटर नाजायज देशी कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लीलापुर पर मु0अ0सं0 79/26 धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. रामकुमार सरोज उर्फ कुंवारे पुत्र मोती निवासी बल्दियान का पुरवा हंडौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 36 वर्ष।

बरामदगी-
कुल 30 लीटर नाजायज देशी कच्ची शराब बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 सौरभ यादव मय हमराह का0 राजकुमार सिंह, का0 हरेन्द्र सिंह कां0 कुन्दन शर्मा व का0 सुरजीत द्वारा थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।